



31

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर जिला- ग्वालियर मध्य, प्रदेश  
=====

निग.प.क्र./- सन् 2013

बलवंतसिंह तनय स्व.श्रीरामसिंह आयु लगभग 42 वर्ष,  
पूर्व निवासी गा.चंदला तह. चंदला जिला-उत्तरपुर म.प.  
हालनिवासी ग्राम गौचर तह.गोटेगांव जिला नरसिंहपुर म.प. ---निगरानीकर्ता

बनाम

1. रामकृष्ण उर्फ रामकिशुन तनय स्व.श्रीरामसिंह
2. सबलसिंह तनय स्व.श्रीरामसिंह
3. अर्जुनसिंह तनय स्व. श्रीरामसिंह
4. मुस.शांति देवा स्व.श्रीरामसिंह

समस्त निवासी कसवा चंदला तह. चंदला जिला-  
उत्तरपुर म.प. -----

5. शासन म.प. ----- श्रे पृत्यधीगण

निग.अंतगत धारा-50 म.प. भू.रां.सं.

विषय:- निगरानी विद्द श्रीमान् तहसीलदार महोदय, चंदला  
के रा.प.क्र. 01/अ-3/12-13 में पारित आदेश दिनांक -  
19-11-12 से दुखित होकर  
=====

मान्यवर महोदय,

निगरानीकर्ता सादर निम्न लिखित निगरानी प्रस्तुत करता है:-

1. यह कि भूमि ख.नं. 1483 रकबां 0.371, हे. स्थित मौजा चंदला की भूमि निगरानीकर्ता एवं पृत्यधीगण क्र. 1 लगायत 4 के सहस्वामित्व एवं अधिमत्य की 1/5, 1/5 हिस्से की भूमि है

यह कि निगरानीकर्ता लगभग 15 वर्ष से अपनी ससुराल ग्राम गौचर

3082-III/13

मुकेशमणि रसाकोट  
12-8-13

12-8-13

4.50 P.M

मुकेशमणि  
2813 रसाकोट  
ग्वालियर

- 2 -

**न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर**

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3082-तीन/2013

जिला छतरपुर

बलवंत विरूद्ध रामकृष्ण

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-02-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार चंदला जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 01/अ-3/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 19-11-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 25-04-2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p> <p style="text-align: center;">(3)</p>	<p style="text-align: center;">(आर.के. जैन) सदस्य</p> <p style="text-align: right;">28/2/2019</p>